न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 180/2020
सरदार सिंह आयु 64 वर्ष पुत्र श्री भोपाल सिंह, जाति मीणा, निवासी किढवाना, तहसील सुरजगढ जिला झुझुनू

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सुरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अ.धारा 75 राज भू राजस्व अधि. 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार सूरजगढ तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू(राज)मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सरदार सिंह अ.धा. 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 05/2020 आदेश दिनांक 20.01.2020

——

उपस्थितः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी — राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.01.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 30.01.2019 के विरुद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्र0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं. 628 में से 0.03. हैक्टर व खसरा नं. 649 में से 0.02 हैक्टर तथा खसरा नं. 650 में से 0.03 हैक्टर भूमि सरहद मौजा किढवाना तहसील सुरंजगढ पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने [illegible] से दण्डित करने का आदेश पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से [illegible] इस प्रकार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ [illegible] है। अपीलान्ट के विरुद्व दफा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम [illegible] प्रावधान लागू नहीं होते। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। पटवारी हल्का की तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट एकपक्षीय [illegible] पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के कब्जे का नाप मोके पर अपीलान्ट की मौजूदगी में नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:16:08 IST
Reason: SelfAttested

की गई है। पटवारी हल्का अतिक्रमण
तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चोड़ाई दर्ज नहीं की गई है। पटवारी हल्का अतिक्रमण
रिपोर्ट साबित करने के लिए अदालत मातहत के समक्ष बतौर साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। इस
प्रकार अतिक्रमण साबित किये बिना ही अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश दिये है। जमीन
जैर बहस पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से कब्जा है। अपीलान्ट सन् 1970 के पहले स
पूर्वजों के समय से पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। अपीलान्ट को अतिक्रमी माने जाने क
सूरत में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/17/राज/दिनांक 03.03.1971 तथा परिप
संख्या एफ–6/10/राज/4/77 दिनांक 23.04.1977 के मुताबिक पुराने कब्जे का नियम
करना चाहिए था। अदालत मातहत ने उपरोक्त तथा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों क
नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नं. 649 व 650 किस्म ग
मुमकीन बाड़ा है जो आबादी के काम में आता है। किस्म जमीन गैर मुमकीन बाड़ा पर द
का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करने का हक अदालत मात
को नहीं है। जमीन खसरा नं. 628 किस्म जोहड है जो कि वास्तविक रूप से चारागाह
काम में नही आ रही है। उक्त भूमि के तमाम क्षेत्रफल पर राजकीय भवन, स्कूल पंचायत भ
इत्यादि बने हुये है और गांव की आबादी बसी हुई है। मौके पर जमीन खसरा नं. 628, 6
650 खाली नहीं है। अपीलान्ट अकेले के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही गलत रूप से की
है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस को निर्णय
बहस में डिस्कस नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने का
आधार दर्ज नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान
उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान बिन्दू अन्तर्वलित हो उस सूरत में समरी प्रोसी
के मार्फत कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलान्ट के विरूद्व तथाकथित अतिक्रमण
बेदखली के बाबत कार्यवाही नियमित वाद के द्वारा ही हो सकती थी। जिसके लिए मि
निकल चुकी है। इस कारण पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में तथाकथित कब्जे के संब
नया अथवा पुराना निर्माण के संबंध में कोंई तथ्य दर्ज नहीं किये है। इस प्रकार अ
मातहत ने तथ्य व विधि को अनदेखा कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान
साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सि
की पालना नहीं हुई। सन् 1998 से विवादित जमीन पर बने मकानात में बिजली का क
है। अपील प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिन तय है। अपीलान्ट ने प्रकरण में सुनवाई की
पेशी पर जवाब प्रस्तुत किया और अपीलान्ट के जवाब को पढने के बाद अदालत मात
पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये और कहा कि क
ड्रोप कर दी जाएगी। इस पर अपीलान्ट ने पीठासीन अधिकारी की बातों पर विश्वा
लिया और अपीलान्ट आपने घर चला गया। अपीलान्ट काश्तकार पेशा व्यक्ति है और क
लिखा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मुजर फरमाई जाकर अ
मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020 को अपास्त किया जावे।
बहस उ[illegible] गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के
[illegible] निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व
अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरा[illegible] हुए [illegible] नहीं होते। अपीलान्ट अतिक्र
राजस्थान भू–राज[illegible] एकपक्षीय है। पटवारी हल्का ने अ
है। पटवारी हल्का [illegible] मौजूदगी में नही किया है। तथाकथित अतिक्र
के कब्जे का नाप मोके पर अपीलान्[illegible] मौजूदगी में नही किया है। तथाकथित अतिक्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:16:08 IST
Reason: SelfAttested

लम्बाई–चोड़ाई दर्ज नहीं की गई है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का पूर्व
कब्जा है। अपीलान्ट सन् 1970 के पहले से पूर्वजों के समय से पुख्ता मकानात
है। जमीन खसरा नं. 649 व 650 किस्म गैरमुमकीन बाड़ा है जो आबादी के क
किस्म जमीन गैरमुकीन बाड़ा पर दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
कार्यवाही करने का हक अदालत मातहत को नहीं है। जमीन खसरा नं. 628
जो कि वास्तविक रूप से चारागाह के काम में नही आ रही है। अतः अपील अ
फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020 को
जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्
अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ तथा गैर मुमकीन बाडा क
राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण
जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विधिसम्मत है जिसमें कि
अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपर
पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्टस
खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर
किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम किढवाना स्थित भूमि खसरा नम्
मुमकीन जोहड़ में 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 649 गैर मुमकीन बाड़ा में 0.02
खसरा नम्बर 650 में 0.03 हैक्टर पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का मुख्य कथन
उक्त विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पूर्वजो के समय से कब्जा है तथा गैर मु
की भूमि पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान लाग
है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि अ
वर्तमान जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर 649 व 650 गैर मुमकीन बाड़ा भी राजकी
रूप में दर्ज है, जिसपर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का किया गया क
तथा कानून गलत है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्र
किया है, जिससे उसके कब्जे को वैध माना जा सकें। अपीलान्ट अपना पक्ष रखने
रहे है। अपील अपीलान्ट मे कोई फॉर्स नहीं है।

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की
स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है
अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुम
पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.02.03 17:16:08 IST
Reason: SelfAttested

(उमर दीन
जिला कल
झुंझुनू